

Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत : उपखण्ड अधिकारी

मुकाम : रावतभाटा

केशवराज

बनाम

विनोद

म मुकदमा

बाद

नं०

२१

सन २०२१

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इसमें जारी हुए
११ २०/२०२१	<p>पत्रावली पेश हुई आग्नीभाषक संघ द्वारा न्यायिक कार्य रद्द कराने से। अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक ११/१२/२१ को पेश की जावे।</p> <p><i>Bijoy</i></p>	
११ २०/२०२१	<p>पत्रावली पेश हुई P.O. साइब अफसरों पर होने से। अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक १७/१२/२१ को पेश की जावे।</p> <p><i>Bijoy</i></p>	
१७ २०२१	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी व वकील वादी न्यायालय में अनुपस्थित। वादी व वकील वादी की न्यायालय द्वारा न्यायालय समय पर तीन बार अलग-अलग समय पर आवाज लगावाई गई वातजुद वादी व वकील वादी न्यायालय में अनुपस्थित। अतः न्यायालय में उकरण में वादी की ओर से पेशी हेतु उपस्थित नहीं होने से वाद पत्र इसी स्तर पर अदम हाजिरी अदम पेशी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल इस्मार होकर दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर शीगल दफ्तर हो।</p> <p><i>Bijoy</i></p>	
	<p>उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)</p>	